



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer
Email : rorpcb.kishangarh@gmail.com



RPCB/RO KSG/PUB-414/113

Date: 16.04.2025

M/s Rajasthan State Industrial Development
and Investment Corporation Limited (RIICO),
Village Sanwatsar, Tehsil Kishangarh,
District Ajmer.

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Expansion cum Modification of Kishangarh Industrial Area (Phase-VI) over an area of 23.597 Hectare within the existing area of 89.989 Hectare without change of remaining area located in Village Sanwatsar, Tehsil Kishangarh, District Ajmer by M/s Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO).

Ref.:- Office of District Collector & District Magistrate, Ajmer Rajkaj Ref no. 14733773 dated 15/04/2025.

Sir,

In reference to above, please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before **28/04/2025**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Kishangarh Marble Association Hall, Tehsil Kishangarh, District Ajmer at 11:00 AM on 28/05/2025** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

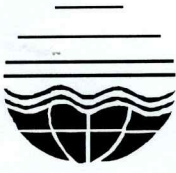
Yours sincerely


(Nidhi Khandelwal)
SEE & Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
2. The Additional District Collector & District Magistrate (L.C.), Ajmer in compliance of Rajkaj Ref no. 14733773 dated 15/04/2025.
- ✓ 3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


SEE & Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-414/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एण्ड निवेश निगम लिमिटेड (रिको) छठा चरण, ग्राम सांवतसर, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा मौजूदा कुल क्षेत्रफल-89.989 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल-23.597 हैक्टेयर का प्रस्तावित विस्तार सह संशोधन से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एण्ड निवेश निगम लिमिटेड (रिको) के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई. ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 5. तहसील कार्यालय-किशनगढ़, जिला-अजमेर।
 6. किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2025/राजकाज रेफरेंस संख्या 14733773 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 28/05/2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन सभागार, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(निधि खण्डेलवाल)
वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी